5 रु. Rs.5 भारत INDIA FIVE RUPEES

निग -690-I-16

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर म.प्र.

1. श्रीमति कमलाबाई पत्नि स्व. श्री नंदकुमार बरडिया आयु 68 वर्ष
2. आदित्य कुमार बरड़िया आ. स्व. श्री नंदकुमार बरडिया आयु 51 वर्ष

दोनों निवासी–गुदरी बाजार राम वार्ड, कंदेली, नरसिंहपुर
तहसील व जिला नरसिंहपुर म.प्र. ....रिव्हीजनकर्ता

बनाम

1. श्रीमति प्रीति सिपानी पति श्री सुरेश सिपानी आयु 48 वर्ष, निवासी–झाड़े भवन, प्रथम मंजिल, आजाद चौक, गांधी चौक के पास, सदर नागपुर (महाराष्ट्र)
2. श्रीमति तृप्ति बैद पति श्री सुनील कुमार बैद (जैन) आयु 41 वर्ष, निवासी–महेन्द्र मंजू कोठारी, विमलनाथ जैन मंदिर के पास, पचपेढ़ी नाका, रायपुर (छ.ग.) ....उत्तरवादीगण

रिवीजन अंतर्गत अंतर्गत धारा–50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959

रिवीजनकर्तागण न्यायालय श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय नरसिंहपुर के प्रकरण कमांक–95/अ–6 वर्ष 2014–2015 में पारित आदेश दिनांक 17.02.2016 से पीड़ित होकर रिवीजनकर्ता निम्नानुसार रिवीजन प्रस्तुत करते है :–

रिवीजन के तथ्य

1. यह कि उत्तरवादीगण द्वारा रिव्हीजनकर्ता के विरूद्ध तहसीलदार महोदय नरसिंहपुर के द्वारा अपने राजस्व मामला कमाक–37–अ/6 वर्ष 2015–2016 में पारित नामांतरण रिव्हीजनकर्ता द्वारा प्रस्तुत रजिस्टर्ड वसीयतनामे के आधार पर आदेश दिनांक 30.04.2015 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की है।

2. यह कि उत्तरवादीगण के द्वारा आदेश दिनांक 30.04.2015 के विरूद्ध अपील दिनांक 17.07.2015 को प्रस्तुत की गयी है, जो कि अवधि बाह्य अपील है। उत्तरवादीगण के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष धारा 5 म्याद अधिनियम का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। उक्त आवेदन पत्र में विलंब का कारण प्रकरण के आदेश की जानकारी एवं प्रकरण की जानकारी का अभाव बताया गया।

न्यायालय, राजस्व मण्डल, म0 प्र0, ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ
भाग–अ

प्रकरण कमांक निगरानी–690–एक / 2016 जिला –नरसिंहपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकरों एवं अभिभाषकोंआदि के हस्ताक्षर
9–01–19	आवेदक अधिवक्ता श्री कुंअर सिंह कुशवाह द्वारा यह प्रकरण इस न्यायालय में अनुविभागीय अधिकारी नरसिंहपुर जिला नरसिंहपुर के प्रकरण कमांक 95 / अ–6 / 2014–15 में पारित आदेश दिनांक 17.2.16 के विरूद्व निगरानी म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2– आवेदक के अधिवक्ता के तर्को पर विचार करने एवं म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.9.2018 के हुये संशोधन अनुसार अनुविभागीय अधिकारी नरसिंहपुर जिला नरसिंहपुर द्वारा पारित अंतिरिम आदेश दिनांक 17.2.16 के विरूद्व सीधे राजस्व मण्डल में निगरानी सुनवाई योग्य नहीं रही है। अपितु संशोधन की संहिता की धारा 54 (क) सहपठित धारा 50 (1) (ग) के अनुसार कलेक्टर जिला नरसिंहपुर के समक्ष सुनवाई योग्य है। तदनुसार प्रकरण कलेक्टर जिला नरसिंहपुर की ओर निराकरण हेतु हस्तांतरित किया जाता है। पक्षकार दिनांक 9.3.19 को कलेक्टर नरसिंहपुर के समक्ष उपस्थित रहे। सदस्य **कलेक्टर नरसिंहपुर**	